11. प्रवेश-पत्र पी.टी.ई.टी.- 2024 की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

12. पीटीईटी के उत्तर पत्रक की रिस्केनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में रु. 200/- (रूपये दो सौ मात्र) शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है।

13. मूल उत्तर-पत्रक (ओरिजिनल ओ. एम. आर) किसी भी सूरत में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

14. आवेदन-पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाइन सबमिट करें एवं परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान या बैंक चालान से भुगतान कर उसका प्रिन्ट लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अपने पास रखे जिसे काउसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। आवेदन-पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

15. यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र के निवासी, सैनिक/सेवानिवृत सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। **अभ्यर्थी ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।**

16. इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे ।

17. पीटीईटी आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावजों को इस प्रकार रखें –

   1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति
   2. अंकतालिकाएं एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण-पत्र निम्न क्रम में रखें :-
      10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर
   3. जाति प्रमाण-पत्र
   4. दिव्यांगता/ सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र
   5. EWS प्रमाण-पत्र
   6. मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि
   7. अपार/ABC ID

   नोट: इस बिन्दु में क्रम से 2 से 5 में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण-पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हो की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित, संभाल कर रखें जिन्हें कांउसलिंग उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

18. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा होगा। राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की है अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरूद्ध न्यायालयों में दायर वाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,